

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 35/2019-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितंबर, 2019

सा.का.नि. .... (अ) - सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के उप नियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2018-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 20 मार्च, 2018, जिसे सा.का.नि. 248 (अ), दिनांक 20 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, करती है।

[फाइल संख्या- 354/319/2011-टीआरयू (पार्ट-III) ]

(रूचि बिष्ट)  
अवर सचिव, भारत सरकार